तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
06/12/17	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप०। प्रकरण में प्रा०पत्र टी.आई. पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरबक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तादौरान कैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में ~~अप्र~~ वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा०पत्र टी.आई. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र टी.आई. खारिज करने का निवेदन किया।
	पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रा०पत्र टी.आई. एवं जवाब प्रा०पत्र टी.आई. का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण में विवादित ख.नं. 325/1 रकबा 1.06 है० तन ग्राम साहियावास प० ह० गुसारा के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है तथा ख.नं. 325/2 रकबा 0.50 है० तन ग्राम साहियावास प० ह० गुसारा का अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी व अप्रार्थी के अभिकथनों के आधार पर मूल विवाद ख.नं. 325/2 के सम्बन्ध में है। ख.नं. 325/2 का प्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेखा क्रेता होकर रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 325/1 के

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

साथ अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि 325/2 को सम्मिलित करते हुए एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि 325/1 पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार जाहिर नहीं किया है। ख.नं. 325/2 के सम्बन्ध में विवादित पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद पत्र में गुणावगुण पर होना है। अतः प्रा०पत्र टी.आई. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेनल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.12.19
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी RAS
खण्डेला (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)